

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक...../

सं० सं०-05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 01/2016

पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)  
बिहार, पटना।

द्वारा :-

वित्त विभाग।

विषय :-

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्यशीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0001 हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड N2851001030001 विषय शीर्ष 1401 किराया महसूल एवं कर में रू० 91,000/- (एकानवे हजार) एवं 3401 छात्रवृत्ति/वजीफा में रू० 4,19,000/- (चार लाख उन्नीस हजार) अर्थात् कुल रू० 5,10,000/- (पाँच लाख दस हजार) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :-

बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड-I के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

2-

राशि का विकलन मुख्यशीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0001 हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड N2851001030001 के विषय शीर्ष 1101 यात्रा व्यय, 1301 कार्यालय व्यय, 1303 दूरभाष, 1304 विद्युत प्रभार, 1305 विधि प्रभार तथा 5201 मशीनें एवं उपस्कर मे से कुल रू० 5,10,000/- (पाँच लाख दस हजार) मात्र बचत की राशि से विकलित होगा।

3-

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा/प्रबंधक, पोलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर/सहायक उद्योग निदेशक(रेशम) पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4-

राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/जिला कोषागार, भागलपुर एवं दरभंगा से की जाएगी।

5-

प्रस्ताव में सचिव (संसाधन), वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 01/2016 के पृष्ठ 13/टि० पर दिनांक 22.02.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
क० प० उ०

ज्ञापांक ...../

पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना तथा जिला कोषागार, दरभंगा/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 722 /

पटना, दिनांक 28-02-17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव, वित्त विभाग/उप सचिव, बजट शाखा, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा-01(स0), उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग निदेशालय/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना/श्रीमती विक्टोरिया पूर्ति, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा/प्रबंधक, पोलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर/सहायक उद्योग निदेशक(रेशम) पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई-हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त उपबंध अपेक्षित है। शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 हथकरघा के विकास योजना विपत्र कोड N2851001030001						शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है। मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 हथकरघा के विकास की योजना विपत्र कोड N2851001030001					
विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तत्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित व्यय	अपेक्षित अतिरिक्त उपबंध	कुल उपबंध जो जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तत्काल लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यापित राशि	कुल उपबंध जो घटाने के बाद रहेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1401 किराया महसूल एवं कर	50000	50000	141000	91000	141000	1101 यात्रा व्यय	300000	300000	124000	176000	124000
3401 छात्रवृत्ति/ वजीफा	150000	150000	569000	419000	569000	1301 कार्यालय व्यय	200000	200000	108000	92000	108000
						1303 दूरभाष	12000	12000	0	12000	0
						1304 विद्युत प्रभार	100000	100000	10000	90000	10000
						1305 विधि प्रभार	40000	40000	0	40000	0
						5201 मशीनें एवं उपस्कर	100000	100000	0	100000	0
				510000						510000	

टिप्पणी

- (क) स्तम्भ-1 और 7 में ऐसे लघु उद्योग, उप शीर्ष दिखाये जाय जिससे इकाई संबंधित हो।  
 (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयों में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 में आँकड़े पीठ पर अंकित किया जाय।  
 (ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाय।  
 (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आँकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।

*(Handwritten signature)*

अतिरिक्त पुनर्विनियोग के लिए आवेदन पत्र

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्य शीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001 हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड N2851001030001 विषय शीर्ष 1401 किराया महसूल एवं कर में रू0 91,000/- (एकानवे हजार) एवं 3401 छात्रवृत्ति/वजीफा में रू0 4,19,000 (चार लाख उन्नीस हजार) अर्थात् कुल रू0 5,10,000 (पाँच लाख दस हजार) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

- 2- प्रस्तावित पुनर्विनियोग के संबंध में स्पष्टीकरण :-  
भारतीय हस्तकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी/शांतिपुर, कोलकता, केन्द्रीय डिजाईन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना तथा पॉलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति तथा डाइंग एण्ड फिनिशिंग प्लांट, दरभंगा के बकाया होल्डिंग टैक्स के भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001 हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड N2851001030001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 1401 किराया महसूल एवं कर में रू0 91,000/- (एकानवे हजार) एवं 3401 छात्रवृत्ति/वजीफा में रू0 4,19,000 (चार लाख उन्नीस हजार) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-103 हथकरघा उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001 हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड N2851001030001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 1101, 1301, 1303, 1304, 1305 एवं 5201 से कुल रू0 5,10,000 (पाँच लाख दस हजार) मात्र बचत राशि को प्रत्यार्पित करने का प्रस्ताव है।
- 3- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा/प्रबंधक, पोलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर/सहायक उद्योग निदेशक(रेशम) पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कुछ हो :-  
पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण ऊपर कंडिका 2 में अंकित है।
- 5- स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अंतर हो तो उसका स्पष्टीकरण :-  
(क) 2 एवं 3 में शून्य।  
(ख) 8 एवं 9 में शून्य।

महाप्रबंधक (रेशम)